

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2014—फाल्गुन 1, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. एफ-6-38-2012-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
“(गक) “भूतपूर्व सैनिक” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पदों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी प्रवर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1985 में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक.”.
- नियम 3 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
“(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी :—

अनुक्रमांक (1)	विभाग / सेवा / पद का नाम (2)	अभ्युक्तियां (3)
-------------------	---------------------------------	---------------------

द्वितीय श्रेणी

सामान्य प्रशासन विभाग

- राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष)

(1)	(2)	(3)
	गृह विभाग	
2	राज्य पुलिस सेवा (पुलिस उप अधीक्षक)	
3	जिला सेनानी, नगर सेना	
	जेल विभाग	
4	अधीक्षक, जिला जेल	
	वित्त विभाग	
5	मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी / लेखाधिकारी / सहायक संचालक)	
6	सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	
	वाणिज्यिक कर विभाग	
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी	
8	जिला आबकारी अधिकारी	
9	जिला पंजीयक	
	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	
10	रोजगार अधिकारी	
	सहकारिता विभाग	
11	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	
	श्रम विभाग	
12	श्रम अधिकारी	
	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	
13	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ख"	
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) / अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	
15	विकासखण्ड अधिकारी	
	जनसंपर्क विभाग	
16	सहायक संचालक, जनसंपर्क	
	आदिम जाति कल्याण विभाग	
17	जिला संयोजक	
18	क्षेत्र संयोजक	
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
19	सहायक संचालक, खाद्य / जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी	
	महिला एवं बाल विकास विभाग	
20	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक	
21	मुख्य निर्देशिका आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र	
22	बाल विकास परियोजना अधिकारी	

(1)	(2)	(3)
	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
23	सहायक संचालक, (प्रशासन)	
	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	
	जेल विभाग	
1	उप अधीक्षक, जेल	
2	सहायक अधीक्षक, जेल	
	वाणिज्यिक कर विभाग	
3	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
4	आबकारी उप निरीक्षक	
5	उप पंजीयक	
	राजस्व विभाग	
6	नायब तहसीलदार	
7	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	
	परिवहन विभाग	
8	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	
9	परिवहन उपनिरीक्षक	
	सहकारिता विभाग	
10	सहकारिता निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी	
	श्रम विभाग	
11	सहायक श्रम अधिकारी	
	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	
12	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	

3. नियम 4 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में प्रत्येक पद के लिये योग्यता सूची, उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की सीमा तक उसी प्रकार पृथक् रूप से तैयार की जाएगी. यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग का कोई अभ्यर्थी उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों के विरुद्ध तभी समायोजित किया जाएगा जब वे हर प्रकार से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के समान ही, बिना किसी शिथिलीकरण के योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करेंगे.

4. (1) नियम 6 में, उपनियम (2) में, टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

टिप्पण-1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं दी गई है तथा ऐसे अभ्यर्थी

भी जो ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा (मुख्य) में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक उपाधि / समकक्ष अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा :

परन्तु साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.”.

(2) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) आयु.—(क) अभ्यर्थी ने विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के बाद की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो :

परन्तु गृह (पुलिस) विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके अपने भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, सेवाओं की अत्यावश्यकताओं पर विचार करते हुए इन नियमों में सम्मिलित सेवाओं में से किसी सेवा के लिये न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकेगी;

(ख) अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण—

(एक) निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अतिक्रम आयु सीमा 45 वर्ष होगी :—

(क) महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित/ आरक्षित / विधवा / परित्यक्ता/ तलाकशुदा);

(ख) आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर);

(ग) मध्यप्रदेश सरकार तथा उसके निगम / मंडल / स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिक;

(घ) न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता वाले शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति.

(दो) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यक्षीन होगी;

(तीन) अधिकतम 2 वर्ष तक—यदि अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने (पति / पत्नि) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक—यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तक—यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3 / 8 / 85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर 1985 के अनुसार “विक्रम अवार्ड” से सम्मानित खिलाड़ी हो:

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा.

टिप्पण.—(1) जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही निःशक्त प्रवर्ग को आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(3) आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य फायदे मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं. अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, निःशक्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट तथा अन्य फायदे केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुज्ञेय होंगी. अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे.

(4) यदि अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके पिता / पति क्रीमीलेयर में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुज्ञेय आरक्षण तथा अन्य छूटें, उपलब्ध नहीं होंगी.

(छह) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं / परिपत्रों के अधिक्रमण में है.

5. नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“7. नियम 6 के उपनियम (3) में यथा उपबंधित के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी. अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण-पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित की गई हो. साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्रमाण-पत्र / अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा. आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आवेदन-पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे. प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा.”

6. नियम 8 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(3)(क) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तथा लंबित रखा जाएगा.

(ख) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा: परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है.”

7. नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“13. किसी भी अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो एवं आयोग द्वारा जारी प्रवेश-पत्र का फोटोयुक्त परिचय पत्र (पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लायसेंस / पेनकार्ड / आधार कार्ड) से परीक्षा केन्द्र पर मिलान न कर लिया गया हो.”

8. नियम 14 का लोप किया जाए.

9. नियम 15 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व, प्रेषित किये जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, आवेदन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए. विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा. अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है. जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा. इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा. अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण / रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा.

10. नियम 16 में, उपनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(11) परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी वीक्षक के पास उसकी उत्तरपुस्तिका जमा करने में असफल रहता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किए जाने के दायित्वाधीन होगी तथा केन्द्राध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जा सकेगा.”

11. नियम 17 का लोप किया जाए.

12. नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“19 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान पते/ ई-मेल आई. डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जाएगा. अभ्यर्थी के पते / ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये पते/ ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को आगामी पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी. अभ्यर्थी द्वारा पता / ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये पते / ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते / ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

13. नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“20. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अंक सूची उपलब्ध नहीं कराएगा क्योंकि यह केवल एक छानबीन (स्क्रीनिंग) परीक्षा है और इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथापि मुख्य परीक्षा की अंक सूचियां अभ्यर्थियों को, अंतिम चयन परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् आनलाईन उपलब्ध कराई जाएगी. आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है. इसीलिए इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

14. नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“21 केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता पाने वाले अभ्यर्थियों को अपने निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र का चयन करना चाहिए क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा. यात्रा व्यय अभ्यर्थी द्वारा

परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार केन्द्राध्यक्ष द्वारा चेक से दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ सम्यक् रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति केवल मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी / जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया जाति / चरित्र प्रमाण-पत्र जिसके साथ घोषणा पत्र भी दिया हो, प्रस्तुत करने पर की जाएगी। आरक्षित प्रवर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और साक्षात्कार में उपस्थित हुए हैं, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा यात्रा व्ययों का संदाय किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन में दी गई विभिन्न रियायतें, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिये ही लागू होंगी। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़े वर्ग के "क्रीमीलेयर" में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण एवं अन्य लाभ अनुज्ञेय नहीं होंगे।

15. परिशिष्ट एक में, खण्ड 10 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"10. (1) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषयों में प्रश्न-पत्र वार स्केलिंग पद्धति लागू की जाएगी। इसमें स्केलिंग (Scaling) निम्न सूत्र द्वारा की जाएगी :—

सूत्र—

स्केलड अंक= $M+(x-m) S/s$ जैसे कि—

M = राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के समस्त ऐच्छिक विषयों के समस्त प्रश्न-पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का ओव्हरआल माध्य (overall mean)

x = आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न-पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (raw marks)

M = किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न-पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का माध्य (mean)

S = सभी ऐच्छिक विषयों के सभी प्रश्न-पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

s = किसी ऐच्छिक विषय के प्रश्न-पत्र के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

(2) अनिवार्य विषयों के अंकों की स्केलिंग नहीं होगी। प्रावीण्य सूची अनिवार्य विषयों के वास्तविक प्राप्तांकों तथा ऐच्छिक विषयों के स्केलड अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुने तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किए जाएंगे। नानस्केलड अंकों की जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी।

11. मुख्य परीक्षा के दोनों अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-तीन में दिए गए हैं।

16. परिशिष्ट दो में, शीर्षक "सामान्य अध्ययन" में, खण्ड 10 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993."

17. परिशिष्ट तीन में, शीर्षक सामान्य अध्ययन में, खण्ड 11 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“12. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.”.

18. परिशिष्ट चार में, खण्ड 2 तथा 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“2. शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा.

3. किसी भी अन्य रीति से किया गया अथवा भेजा गया शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन, शुल्क रहित माने जाएंगे तथा सरसरी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्र. एफ-6-38-2012-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-38-2012-एक (1), दिनांक 20 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th February 2014

No. F-6-38-2012-One (1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Service Examination Rules, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ca) “Ex-serviceman” means the Ex-serviceman as defined in the Madhya Pradesh Ex-serviceman (Reservation of class III and class IV categories of State Civil Services and Posts) Rules, 1985.”.

2. In rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A combined competitive examination for recruitment to the following services/ posts will be held annually by the Madhya Pradesh Public Service Commission:—

S. No. (1)	Name of Department/ Service/ Post (2)	Remarks (3)
---------------	--	----------------

Class—II

General Administration Department

- 1 State Administrative Service (Deputy Collector)

Home Department

- 2 State Police Service (Deputy Superintendent of Police)
3 District Commandant, Home Guards

(1)	(2)	(3)
	Jail Department	
4	Superintendent, District Jail	
	Finance Department	
5	State Account Service (Junior Scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director)	
6	Assistant Director, Local Fund Audit	
	Commercial Taxes Department	
7	Commercial Tax Officer	
8	District Excise Officer	
9	District Registrar	
	Commerce, Industry and Employment Department	
10	Employment Officer	
	Co-operation Department	
11	Assistant Registrar, Co-operative Societies	
	Labour Department	
12	Labour Officer	
	Urban Administration and Development Department	
13	Chief Municipal Officer Grade-B	
	Panchayat and Rural Development Department	
14	Chief Executive Officer (Janpad Panchayat/ Add. Assistant Development Commissioner)	
15	Block Development Officer	
	Public Relations Department	
16	Assistant Director, Public Relation	
	Tribal Welfare Department	
17	District Organizer	
18	Area Organizer	
	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department	
19	Assistant Director, Food/ District Civil Supplies Officer	
	Women and Child Development Department	
20	District Women and Child Development Officer/ Assistant Director	
21	Chief Instructor (Anganwadi Training Centre)	
22	Child Development Project Officer	
	Backward Classes and Minorities Welfare Department	
23	Assistant Director (Administration)	
	Class-III (Executive)	
	Jail Department	
1	Deputy Superintendent, Jail	
2	Assistant Superintendent, Jail	

(1)	(2)	(3)
Commercial Tax Department		
3	Commercial Tax Inspector	
4	Excise Sub-Inspector	
5	Sub-Registrar	
Revenue Department		
6	Naib Tahsildar	
7	Assistant Superintendent, Land Records	
Transport Department		
8	Assistant Regional Transport Officer	
9	Transport Sub-Inspector	
Co-operation Department		
10	Co-operative Inspector/ Co-operative Extension Officer	
Labour Department		
11	Assistant Labour Officer	
Urban Administration and Development Department		
12	Chief Municipal Officer Grade-C	

3. In rule 4, in sub-rule (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Merit list for each post in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Servicemen will be similarly prepared separately, to the extent of vacancies reserved for them. If a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Serviceman by virtue of his aggregate marks, finds a place in the Unreserved list. Such reserved category candidates shall be adjusted against unreserved posts only if they secure merit in all respects like a candidate of a Unreserved category, without any relaxation.”.

4. (1) In rule 6, in sub-rule (2), for note 1, the following note shall be substituted, namely:—

“**Note.1** Candidates who have appeared in an examination, after passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the results, and also the candidates who intend to appear in such a next qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. All such candidates who are declared qualified by the Commission for appearing the State Services (Main) Examination will be required to appear compulsorily the bachelor's degree/ equivalent qualifying examination on or before last date of the form submission of Mains Examination:

Provided that the mark sheet of qualifying examination will be compulsorily be submitted before appearing the Interview alongwith the attestation form.”.

(2) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) **Age.**—(a) A Candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January, following the date of publication of the advertisement:

Provided that for the posts of the Home Department, the Jail Department, the Forest Department and the Excise Department, the maximum age limit will be governed by the provisions of their own recruitment rules:

Provided further that the State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services included in these rules, considering the exigencies of the services;

- (b) Age relaxation admissible to a maximum age limit :—
- (i) Maximum age limit for the following categories shall be 45 years:—
- (a) Women candidates (Unreserved/ Reserved/ Widow/ Abandoned/ Divorcee)
- (b) reserved category (Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward classes (except creamy layer);
- (c) employees of the Madhya Pradesh Government and its Corporation/ Board/ Autonomous institutions and Home Guard;
- (d) physically handicapped with minimum 40% disability.
- (ii) Ex-serviceman will be eligible for maximum 3 years of relaxation service rendered by him which will be under the 45 years of maximum age limit.
- (iii) Up to a maximum of 2 years: If the candidate holds a green card in his/ her name under the Family Welfare Programme.
- (iv) Up to maximum of 5 years: If the candidate awarded superior caste, partner of a couple under Inter Caste Marriage Scheme Sponsored by the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department as per order of the General Administration Department.
- (v) Up to a maximum of 5 years : If the candidate is a sportsman honoured with the “Vikram Award” as per General Administration Department Memo No. C-3-8-85-3-1, dated 3rd of September, 1985:

Provided that in the matter of above relaxations, the candidate will be entitled for only one relaxation of the maximum benefit after the submission of Certificate issued by the competent authority.

- Note—**(1) The reservation and benefit of physically challenged category shall be granted only on the basis of minimum of 40% disability Certificate issued by District Medical Board.
- (2) Upper age limit shall not exceed 45 years in any condition for any category after including all types of relaxations.
- (3) The benefits of reservation, relaxation in age limit and other benefits thereof are in the context of the State of Madhya Pradesh. Therefore, the reservation and benefit of age relaxation and other benefits to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Physically Challenged and Ex-serviceman shall be admissible only to the domicile candidates of Madhya Pradesh. Such candidates belonging to other states shall be treated under unreserved category.
- (4) Reservation and other benefits admissible to Other Backward Classes will not be provided if candidate himself or father/ husband fall within the criteria of creamy layer.
- (vi) Above provisions are in supersession of all previous notifications/ circulars issued in this regard.”.

5. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. No other age relaxation shall be permissible except as provided in sub-rule (3) of rule 6. The candidate should not that the commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or higher secondary School examination certificate or certificate of an examination treated equivalent thereto. High School/ Higher Secondary Certificate/ Mark sheet, clearly mentioning the date of birth, must be compulsorily attached with the Attestation Form before the interview, failing which the application form would be rejected. No other document relating to age such as horoscope, affidavit, birth-related extracts from Municipal Corporation service records and the like, will be accepted. Once a date of birth has been verified and recorded as per above procedure in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstances and all such representations will be rejected. The application could be rejected on finding any dissimilarity between the information provided in the application form of the Preliminary Examination and that of the Main Examination.”.

6. In rule 8, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) (a) A Candidate convicted for any crime against women will not be eligible for any service or appointment to any post :

Provided that the where such cases are pending in the court of law against any candidate, the matter of appointment of such candidate will be kept pending till the final decision of Criminal Proceedings.

(b) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26-1-2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26-1-2001 in which two or more than two children are born.”.

7. For rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

“13 No candidate shall be admitted either to the Preliminary Examination or the Main Examination unless he/ she holds an admission card issued by the Commission and the Admit Card issued by the Commission has been cross checked with valid Photo Identity Card (Passport/ Voter Identity Card/ Driving License/ Pen Card/ Aadhar card) at the examination center.”.

8. Rule 14 shall be omitted.

9. In rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Candidates claiming relaxation in the upper age limit or any other concession must attach, a attested form alongwith Photocopy of the appropriate Certificate issued by the competent authority to their application forms Attested before the Interview. A caste certificate relating to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, issued by a sub-divisional officer (Revenue) authorized by the Government of Madhya Pradesh to issue caste certificat must be attached compulsorily with the application form. In case of married women, only the caste certificates bearing father's names will be accepted. In case of Other Backward Classes candidates Caste Certificat mentioning that he / she does not belong to Creamy layer is required. The certificates where non-creamy layer paragraph is missing or cancelled will not be accepted for any relaxation. If a candidate fails to produce certificate of caste and other certificates in original at the time of interview, his candidature shall be rejected for which the candidate himself shall be responsible. Any promissory note/application in this regard will not be considered and the matter will be treated as closed. In absence of requisite certificates, any relaxation/ concession will not be considered.”.

10. In rule 16, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(11) In case the candidate fails to submit his/ her answer script after the examination is over to the invigilators on duty, his/ her candidature shall be liable to be cancelled and the Center Superintendent may also lodge a case of criminal case against the candidate.

11. Rule 17 shall be omitted.

12. For Rule 19, the following rule shall be substituted, namely:—

“19. All correspondence by the Commission shall be made at the candidate's current postal address/ e-mail Id mentioned by the candidate in his application form. In case of change of address/ e-mail Id, the candidate shall have to inform the Commission immediately in writing about his/ her new postal address/ e-mail Id for further correspondence. In case the candidate does not apprise the Commission of his/ her change of address/ e-mail Id, the correspondence will be made at the old postal address/ e-mail Id and the Commission will not be responsible for non receipt of any communication to the candidate for which the candidate will solely be responsible and no representation to this effect shall be entertained.”.

13. For Rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

“20. The Commission shall not provide mark sheets in respect of Preliminary Examination because it is only a screening test and no correspondence will be entertained in this connection. However, the mark sheets of the Main Examination will be made available online to the candidates after the publication of the final selection results. There is no provision for revaluation or re-totalling for the examinations conducted by the Commission. As such, no correspondence will be entertained in this connection.”.

14. For Rule 21, the following rule shall be substituted, namely:—

“21. Only Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Physically handicapped minimum 40% disability, candidates should opt for the examination centre nearest to their place of residence, as the candidate will be eligible for the reimbursement of the traveling expenses only from their place of residence to the nearest examination centre. Traveling expenses will be given through cheque by the Centre Superintendent after the candidates has appeared for the examination as per the prevailing rules of the Government. For this, the candidates will have to produce the required declaration duly filled in to the Centre Superintendent, along with all the necessary certificates relating to their eligibility for the traveling allowance. Reimbursement of traveling expenses will be made only on the submission of self-attested copy of the Caste Certificate/ Disability Certificate issued by a Competent Authority of Madhya Pradesh/ District Medical Board alongwith the Declaration form. Reserved categories candidates who are domiciled in Madhya Pradesh appearing at the interview, will be paid traveling expenses by of Office of the Madhya Pradesh Public Service Commission.

The various concessions given in the advertisement are meant for the candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Physically handicapped persons domiciled in Madhya Pradesh and notified/ recognised by Madhya Pradesh Government. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Physically handicapped candidates of other states will be considered as belonging to unreservedcategory. Reservation, relaxation in age limit and other benefits will not be allowed to the candidates belonging to the 'creamy layer' of the Other Backward Classes as recognized by the Government of Madhya Pradesh.”.

15 . In Appendix-I, for clause 10, the following clause shall be substituted, namely:—

“10 (1) Scaling system will be implemented question paper wise in optional subjects of the Main Examination. According to following formula:—

Formula—

Scaled marks= $M+(x-m) S/s$ such as—

M=Over all mean of non scaled marks (raw marks) of all question papers of all optional subjects of the Main Examination.

x=Non scaled marks (raw marks) obtained by a candidate in a particular question paper of the Optional subject.

m=mean of non scaled marks (raw marks) of a particular question paper of the Optional subject.

S=Standard deviation of non scaled marks (raw marks) of all question papers of all optional subjects.

s=Standard deviation of non scaled marks (raw marks) of a question paper of an optional subject.

- (2) There will be no scaling of compulsory subjects. Merit list will be prepared on the basis of total actual marks of compulsory subjects and scaled marks of optional subjects. Number of candidates in merit list prepared in this way will be 3 times of the number of posts advertised in each category and the candidates having equal marks to that of the last selected candidate will be declared qualified for the interview. Non Scaled marks will not be communicated to Candidates.

11. The details of the syllabi for both compulsory and optional subjects of main examination as specified in Appendix-III.”.

16. In Appendix-II, in the heading “General Studies”, after clause 10, the following clause shall be inserted, namely:—

“11. The Protection of Human Rights Act, 1993.”.

17. In Appendix-III, in the heading “General Studies”, after clause 11, the following clause shall be inserted, namely:—

“12. The Protection of Human Rights Act, 1993.”.

18. In Appendix-IV, for clauses 2 and 3, the following clauses shall be substituted, namely:—

“2. Payment of fee shall be made in accordance with the procedure as prescribed in the advertisement by the Commission.

3. Fee paid or sent through any other mode shall not be accepted by the Commission and such applications will be treated as without fee and will be summarily rejected.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.